141894 - अकाउंटिंग और अर्थशास्त्र पढ़ने का हुक्म, जबकि उनमें कुछ इस्लाम-विरोधी विषय भी शामिल होते हैं

प्रश्न

ऐसे वाणिज्य (कॉमर्स) विषयों का अध्ययन या अध्यापन करने का क्या हुक्म है, जिनमें अकाउंटिंग (लेखा-विज्ञान), बिज़नेस स्टडीज़, अर्थशास्त्र (इकोनॉमिक्स) तथा नौकरी से संबंधित कुछ कौशल-विषय शामिल हों ?

ज्ञात रहे कि इन विषयों को पढ़ने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों का पढ़ना अनिवार्य होता है जो इस्लाम में जायज़ नहीं हैं, और इस हिस्से की पढ़ाई करना ज़रूरी है, जैसे : ब्याज (सूद), लेन-देन पर ब्याज, बीमा, अंग्रेज़ी कानून, कर एवं टैक्स आदि। छात्रों को परीक्षा पास करने और सफलता प्राप्त करने के लिए इन पाठों को पढ़ना आवश्यक होता है।

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।.

वाणिज्य (कॉमर्स) और लेखा-विज्ञान (अकाउंटिंग) से संबंधित विषयों का अध्ययन करने में कोई हर्ज नहीं है, भले ही उनमें कुछ ऐसी बातें शामिल हों जो शरीअत में निषिद्ध (हराम) हैं, जैसे सूद (ब्याज) और कर (टैक्स) आदि। लेकिन इसके लिए यह शर्त है कि पढ़ने या पढ़ाने वाला व्यक्ति उन चीज़ों को हराम ही माने जिन्हें अल्लाह ने हराम ठहराया है। वह इन विषयों का अध्ययन केवल इसलिए करे कि उनमें मौजूद बुराइयों और असत्य बातों को समझ सके। या वह उन विषयों से उन मामलों में लाभ उठाए जो शरियत के विरुद्ध न हों। क्योंकि सभी कंपनियों और संस्थानों को इस प्रकार के ज्ञान की और उससे लाभ उठाने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार, कानूनी विषयों का अध्ययन करके उनमें मौजूद गलत और असत्य बातों को पहचाना और लोगों को उनसे सावधान करना चाहिए, अथवा उनमें मौजूद लाभदायक बातों से फायदा उठाना चाहिए, बशर्ते कि उनमें मौजूद असत्य और गलत बातों से पूर्ण असहमति और दूरी रखी जाए।

शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रहिमहुल्लाह से मानव-निर्मित (ग़ैर-शरई) कानूनों की पढ़ाई करने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने उत्तर दिया :

"जो लोग इन कानूनों को पढ़ते या उन्हें पढ़ाते हैं, उनके कई प्रकार हैं:

पहला वर्ग :

वे लोग जो इन कानूनों का अध्ययन या अध्यापन इसलिए करते हैं ताकि उनकी वास्तविकता को समझ सकें, या यह जान सकें कि इस्लामी शरीयत के कानून उनसे श्रेष्ठ हैं, या उनमें से उन बातों से लाभ उठा सकें जो पवित्र शरीयत के विरुद्ध नहीं हैं, या इन मामलों में दूसरों को लाभ पहुँचा सकें, तो मेरे लिए शरीयत से जो प्रत्यक्ष होता है उसके अनुसार ऐसे लोगों पर कोई दोष नहीं है। बल्कि यदि उनका उद्देश्य इन कानूनों की कमियों को उजागर करना और इन पर शरीयत के कानूनों की श्रेष्ठता को स्पष्ट करना हो, तो उन्हें इस पर सवाब भी मिल सकता है और वे प्रशंसा के पात्र भी हो सकते हैं। इस वर्ग के लोगों का हुक्म उस व्यक्ति के समान है जो सूद (रिबा) के नियमों, शराब के विभिन्न प्रकारों, जुए के विभिन्न रूपों तथा इसी प्रकार के अन्य निषिद्ध विषयों जैसे कि भ्रष्ट मान्यताओं (फ़ासिद अक़ीदों) का अध्ययन करता है, या उन्हें पढ़ाता है, ताकि वह उन्हें अच्छी तरह समझ सके, उनके बारे में अल्लाह के हुक्म को जान सके और दूसरों को भी लाभ पहुँचा सके। यह सब उस स्थिति में है जब वह व्यक्ति उनके हराम होने पर ईमान और विश्वास रखता हो, ठीक उसी प्रकार जैसे पिछले वर्ग का व्यक्ति अल्लाह की शरीअत के विरुद्ध बनाए गए मानव-निर्मित कानूनों के आधार पर फैसला करने के हराम होने पर विश्वास रखता है। उसका हुक्म उस व्यक्ति जैसा नहीं है जो जादू सीखता है या दूसरों को सिखाता है ; क्योंकि जादू स्वयं अपने अस्तित्व में ही हराम है। इसका कारण यह है कि उसमें शिर्क (अल्लाह के साथ दूसरों को साझी ठहराना) और अल्लाह को छोड़कर जिन्नों की पूजा शामिल होती है। इसलिए जो व्यक्ति जादू सीखता है या दूसरों को सिखाता है, वह शिर्क किए बिना उसे सीख ही नहीं सकता। इसके विपरीत, जो व्यक्ति कानूनों का अध्ययन करता है या दूसरों को पढ़ाता है, वह उन्हें न तो उनके अनुसार फैसला करने के लिए पढ़ता है और न ही उन्हें जायज़ समझने के विश्वास के साथ पढ़ता है, बल्कि किसी वैध या शरीअत द्वारा अनुमत उद्देश्य के लिए पढ़ता है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है..." शैख़ इब्न बाज़ रहिमहुल्लाह की पुस्तक '[illegible]' (2/231) से उद्धरण समाप्त हुआ। उनके कथन का शेष भाग प्रश्न संख्या (12874) के उत्तर में देखा जा सकता है।

इन विषयों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति के लिए यह शर्त है कि उसे शरीअत के अहकाम (धार्मिक नियमों) का ज्ञान और गहरी समझ हो, ताकि वह असत्य और गुमराह करने वाली बातों से प्रभावित होने या उन्हें सही समझ बैठने से सुरक्षित रहे।

यदि इन विषयों के अध्ययन के दौरान कोई बात उसके लिए संदिग्ध हो जाए या समझ में न आए, तो उसे तुरंत अहले-इल्म (विद्वानों) से पूछना चाहिए, ताकि उसके लिए सत्य और असत्य, तथा सही और गलत के बीच अंतर स्पष्ट हो जाए।

“फ़तावा अल-लजनह अद-दाइमह” (स्थायी समिति के फ़तवों) (14/232) में आया है : “मानव-निर्मित (ग़ैर-इस्लामी) कानूनों को उन्हें अमल में लाने और लागू करने के उद्देश्य से सीखना जायज़ नहीं है, जब तक कि वे अल्लाह की शरीअत के विरुद्ध हैं। हाँ, उन्हें इस उद्देश्य से पढ़ना और सीखना जायज़ है कि उनमें मौजूद त्रुटियों, कमियों और सत्य से उनके विचलन को स्पष्ट किया जा सके, तथा यह बताया जा सके कि इस्लाम में कितना न्याय, सीधापन, सुधार और लोगों के हितों के

लिए पर्याप्त मार्गदर्शन मौजूद है।

किसी मुसलमान के लिए दर्शनशास्त्र (फ़लसफ़ा), मानव-निर्मित कानूनों और इसी प्रकार के विषयों का अध्ययन करना जायज़ नहीं है, यदि वह उनमें मौजूद सत्य और असत्य के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं रखता है ; क्योंकि उसे फ़ितने (भटकाव) और सीधे मार्ग से विचलित हो जाने का डर है।

लेकिन उस व्यक्ति के लिए यह जायज़ है जो क़ुरआन और सुन्नत का अध्ययन करने के बाद इन विषयों को अच्छी तरह समझने और उनकी वास्तविकता को परखने की क्षमता रखता हो, ताकि वह उनकी बुरी और अच्छी बातों में भेद कर सके, सत्य को स्थापित कर सके और असत्य का खंडन कर सके। यह अनुमति भी उस समय तक है जब तक कि इन विषयों का अध्ययन उसे उन धार्मिक कर्तव्यों से न रोके जो शरीअत की दृष्टि में उससे अधिक महत्वपूर्ण और अनिवार्य हैं।

इसी से यह भी ज्ञात होता है कि ऐसे विषयों की शिक्षा को सभी शैक्षणिक संस्थानों और शिक्षण केंद्रों में सामान्य रूप से फैलाना उचित नहीं है, बल्कि यह उन विशेष लोगों तक सीमित होनी चाहिए जो इसके योग्य हों, ताकि वे सत्य की सहायता करने और असत्य का खंडन करने का अपना इस्लामी दायित्व पूरा कर सकें।" उद्धरण समाप्त हुआ।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।